

कार्यालय :- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां, जिला-बारां, राज0


- :: नोटिस :: -

राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 24.05.2021 द्वारा दिनांक 25.05.2021 से 08.06.2021 तक लॉक-डाउन के कारण एवं Novel Corona Virus (COVID-19) पर प्रभावी नियंत्रण एवं संक्रमण के प्रसार पर रोकथाम की दृष्टि से जारी गाईड लाइन तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 05/पीआई/2021 दिनांक 19.4.2021 तथा 10/पीआई/2021 दिनांक 24.05.2021 एवं माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां के आदेश क्रमांक स्था./795 दिनांक 24.5.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 25.05.2021 से 08.06.2021 तक निम्नलिखित आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई इस न्यायालय द्वारा की जावेगी :-

1. Bail Applications
2. Remand Matters
3. Injunction/stay Application
4. Supurdagi Application etc.

उक्त आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकरणों में आगामी तारीख पेशी निम्न प्रकार नियत की जाती है। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में यदि कोई स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी तारीख पेशी तक प्रभावी रहेगा।

क. सं.	तारीख पेशी	आगामी तारीख पेशी फौजदारी प्रकरण	आगामी तारीख पेशी दीवानी प्रकरण	जे. सी. आगामी तारीख पेशी
1.	25.05.2021	06.07.2021	31.07.2021	07.06.2021
2.	26.05.2021	07.07.2021	02.08.2021	08.06.2021
3.	27.05.2021	08.07.2021	03.08.2021	09.06.2021
4.	28.05.2021	09.07.2021	04.08.2021	10.06.2021
5.	29.05.2021	12.07.2021	05.08.2021	11.06.2021
6.	31.05.2021	13.07.2021	06.08.2021	11.06.2021
7.	01.06.2021	14.07.2021	07.08.2021	14.06.2021
8.	02.06.2021	15.07.2021	09.08.2021	15.06.2021
9.	03.06.2021	16.07.2021	10.08.2021	16.06.2021
10.	04.06.2021	17.07.2021	11.08.2021	17.06.2021
11.	05.06.2021	19.07.2021	12.08.2021	18.06.2021
12.	07.06.2021	20.07.2021	13.08.2021	18.06.2021
13.	08.06.2021	22.07.2021	16.08.2021	21.06.2021


सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां

दिनांक:- 25.05.2021


क्रमांक:- 5127/374

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, बारां जिला बारां राज0।

2. न्यायालय नोटिस बोर्ड।

3. कार्यालय प्रति।

322 CIVIL Suit/35/2021

सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां